<u>आवश्यक</u>

<u>संख्या:5/2017/569/12-2-2017-4/2017</u>

प्रेषक,

प्रदीप भटनागर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2017

विषय: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उर्वरक अनुदान भुगतान में डी0बी0टी0 को सम्पादित करने की कार्य योजना।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली द्वारा उर्वरकों पर देय अनुदान का भुगतान सम्पूर्ण देश में डी0बी0टी0 के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न उर्वरकों पर देय शतप्रतिशत अनुदान का भुगतान संबंधित विनिर्माता एवं आयातक को रिटेलर के द्वारा लाभार्थियों को वास्तविक विक्रय के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में पाइलेट आधार पर 16 जनपदों में यह नई पद्धति लागू की गयी है। डी0बी0टी0 का संचालन राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। भारत सरकार, उर्वरक विभाग द्वारा इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता यथा पी0ओ0एस0 मशीन एवं उसके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा रही है।

2. अत: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उर्वरक अनुदान भुगतान में डी0बी0टी0 को सम्पादित करने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा प्रदेश स्तर पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रदीप भटनागर)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in